

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

12/2012

25.01.2012

20.1.26

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

1. मंदिर श्री गोविन्ददेव जी महाराज विराजमान गंगापुर सिटी
 2. श्री गिराज प्रसाद पुत्र रामसहाय, ब्राह्मण निवासी घास मंडी, गंगापुर सिटी
- प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट

उपस्थित :- राजकीय पैरोकार।

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चकछाबा के ख०न० 2 रकबा 1.12 है०, ख०न० 3 रकबा 0.67 है०, ख०न० 9 रकबा 0.59 है०, ख०न० 10 रकबा 0.15 है०, ख०न० 11 रकबा 0.01 है०, ख०न० 12 रकबा 0.28 है०, ख०न० 13 रकबा 0.28 है०, ख०न० 14 रकबा 0.12 है०, ख०न० 15 रकबा 0.14 है०, ख०न० 15/203 रकबा 0.12 है० कुल कित्ता 10 रकबा 3.48 है० मंदिर श्री गोविन्ददेवजी महाराज विराजमान गंगापुर सिटी की खातेदारी मे दर्ज है। माननीय उच्चतम न्यायालय मे निर्णय अनुसार मंदिर अव्यस्क है एवं इसकी भूमि को विक्रय या भूउपयोग परिवर्तन नही किया जा सकता है। उपरोक्त आराजीयात मे आवासीय भूखंड काटकर कुछ भूखंडो मे नींव भरकर भूमि का उपयोग परिवर्तन कर दिया गया है जो विधि के नियमों के विपरीत है। उक्त भूमि मे रिहायसी व अन्य निर्माण करके खुर्दबुर्द करने पर प्रतिवादीगण आमदा है। इसलिए भूमि की सुरक्षा व्यवस्था हेतु भूमि को कब्जा राज मे लिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम चकछाबा के ख०न० 2 रकबा 1.12 है०, ख०न० 3 रकबा 0.67 है०, ख०न० 9 रकबा 0.59 है०, ख०न० 10 रकबा 0.15 है०, ख०न० 11 रकबा 0.01 है०, ख०न० 12 रकबा 0.28 है०, ख०न० 13 रकबा 0.28 है०, ख०न० 14 रकबा 0.12 है०, ख०न० 15 रकबा 0.14 है०, ख०न० 15/203 रकबा 0.12 है० कुल कित्ता 10 रकबा 3.48 है० भूमि को कब्जे राज मे लिये जाने एवं मौके से बेदखल किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)



(2)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं हुए इसलिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 ग्राम चकछाबा एवं रिपोर्ट पटवारी महुकलों दिनांक 2.1.2012 प्रस्तुत की है।

बहस राजकीय परोकार सुनी गई।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। पटवारी हल्का महुकलों की रिपोर्ट दिनांक 2.1.2012 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के कुछ भूभाग पर करौली सपोटरा इलाके के लोगों द्वारा 10-12 भूखंडों पर कब्जा कर अवैध दासाबंदी कर ली है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भूमाफिया गिरोह से साठगांठ कर मोटी रकम लेकर अवैध बेचान करना बतलाया गया है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जो कि मंदिर की खातेदारी की भूमि है पर अवैध रूप से कब्जे की कार्यवाही हो रही है। फलस्वरूप भूमि की सुरक्षा के लिए इस पर काबिज व्यक्तियों को बेदखल कर भूमि को कब्जे राज में लिया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम चकछाबा के ख0न0 2 रकबा 1.12 है0, ख0न0 3 रकबा 0.67 है0, ख0न0 9 रकबा 0.59 है0, ख0न0 10 रकबा 0.15 है0, ख0न0 11 रकबा 0.01 है0, ख0न0 12 रकबा 0.28 है0, ख0न0 13 रकबा 0.28 है0, ख0न0 14 रकबा 0.12 है0, ख0न0 15 रकबा 0.14 है0, ख0न0 15/203 रकबा 0.12 है0 कुल किता 10 रकबा 3.48 है0 भूमि पर वर्तमान में काबिज व्यक्तियों को भूमि से बेदखल कर भूमि कब्जे राज में लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैंसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.3.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बृजेंद्र मीना)

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (राज०)

डिकरी व मुकदमे इत्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत
इजलास

उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम


1. मंदिर श्री गोविन्ददेव जी महाराज विराजमान गंगापुर सिटी
 2. श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र रामसहाय, ब्राह्मण निवासी घास मंडी, गंगापुर सिटी
- प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं. -12/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी राजकीय पैरोकार मिनजानिब मुद्दई मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम चकछाबा के ख0न0 2 रकबा 1.12 है0, ख0न0 3 रकबा 0.67 है0, ख0न0 9 रकबा 0.59 है0, ख0न0 10 रकबा 0.15 है0, ख0न0 11 रकबा 0.01 है0, ख0न0 12 रकबा 0.28 है0, ख0न0 13 रकबा 0.28 है0, ख0न0 14 रकबा 0.12 है0, ख0न0 15 रकबा 0.14 है0, ख0न0 15/203 रकबा 0.12 है0 कुल किता 10 रकबा 3.48 है0 भूमि पर वर्तमान मे काबिज व्यक्तियों को भूमि से बेदखल कर भूमि कब्जे राज मे लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.3.2026 को जारी किया गया ।


(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)